## **Himachal Form Portal**

S.N	Scheme	Eligibility /Criterea	Assistance	Fee	Documents Required	Whom to Submit	Form
1	प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना	पुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसान।	<ol> <li>प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले विभिन्न आदान बनाने एवं संग्रह हेतू ड्रम के लिए 75% उपदान अधिकतम 750 रू० प्रति ड्रम (अधिकतम तीन ड्रम / परिवार)</li> <li>गऊशाला को पक्का करने तथा गोमूत्र और गोबर एकत्र करने के लिए, गौशाला बदलाव हेतु 80% उपदान अधिकतम 8000 रू० प्रति परिवार</li> <li>देसी गाय पर 50 प्रतिशत उपदान और अधिकतम 25000 रूपये तक की सहायता व उसके परिवहन के लिए 5000 रूपये की</li> </ol>		सामान्य आवेदन	जिला स्तर पर परियोजना निदेशक (आत्मा) को / खण्ड स्तर पर कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के खण्ड तकनीकी प्रबन्धक तथा सहायक तकनीकी प्रंबन्धक के माध्यम से आवेदन	सामान्य आवेदन
			सहायता व उसके परिवहन				

2	Mukhya	This Scheme is	1	Death	300000	Nil	IN CASE OF DISABILITY	The applicant will submit all the Form
	Mantri	to provide	2	Permanent	100000			concerned documents to the Subject
	Kissan	compensation		disability due to			claim application on the	Matter Specilist (Agriculture) of
	Evam	to the farmers		breakage of			prescribed performa (must	
	Khetihar	and agricultural		backbone or			be filled up by the	, -
	Mazdoor	labourers in the		otherwise.			applicant/thumb	the claim alongwith his report to
	Jeevan	event of	3	Amputation of	40000	+	1.77	Denote Director Assists
	Suraksh	sustaining	"		40000			Deputy Director Agriculture
	a Yojna	injury or death		two			him/her.	
	a rojna	during the		limbs/permane			2. The claim must be	
		operation of		nt serious		i l	verified by the	
	,		<u> </u>	injury.			Pradhan/Secertary of the	
		farm	4	Amputation of	30000		Panchyat.	
		machinery.		one limb			3. Medical certificate issued	
		Farm		(amputation of			by registered medical	
		machinery for		four fingers			practitioner should be	
		this purpose	1	shall be deemed		i l	submitted.	
		include		as loss of one			4. Photo of affected	
		Tractors		limb)/permane			organ/left over limb be also	
		registered for		nt serious			attached.	
		Agricultural		injury.			IN CASE OF DEATH	
		purpose, Power	5	Amputation of	20000		1. The claim application on	
		Tillers,	3	full finger (up to	20000	i	the prescribed performa	
		Weeders, Power					must be filled up by the	
				3 fingers).	10000	<del>  </del>		
		cum Binder,	6	Partial	10000		legal heir of the deceased.	
		Power		Amputation of			2. Legal heir Certificate	
		· I		finger/thumb.			/Postmartum Report and	
		Thrasher,					Death Certiciate issued by	
		Chaffcutters,					the registered medical	
		implements,					practitioner.	
	1	tools,					'	
		equipments						
	i	installation &				1		
		operation of						
	!	tube well/bore						
		well/pumping				1		
	1	sets, low lifts.						
		The scheme is				-		
		limited to the						
		domicile						
		farmers and						
		farm labourers						
	]					]		
	!	and not to a				İ	1	
	i	worker/employ				}		·
		ee of any						
		company/contr						
		actor.						

	This scheme						<del></del>
	shall cover the						
	following						[
	incidents.						
	A)Death or						]
	disablement of						1
	any farmers or						
+	agriculture						1 1
	labourer due to					•	1
	an accident		-				1
	occurred while						
	working on the	•			•		
	Farm,						
	Machinery,		1				
	Implements,						
	Tools,			Ì			
	Equipments						
•	etc. as statud						
	above at his			<u> </u>			
	home, farm or						
+	while carrying			1			
	those			İ			
	machinery farm						
	home to farm						
	and vice versa						
	in the State of		1		}		1
	Himachal						
	Pradesh. This						
	also include						
	Death or						1
	disablement of						1
	any farmer or						
	farm labourer						
	due to an						
	accident						
	occurred while,						
	installing/opera						
	ting Tubewell,						
	Borewell,						
	pumping set,						
	low lifts etc.		1		1		]
	B)Death or		1				]
	disablement of						J İ
	any farmer or						
	labourer due to						
	electric current						
·			1	1	Ī		1 i

while installing	ıg,	 	
carrying at	nd		
operating a	ny		
power operate	ed		
machinery. T	he		
age group of the	he		
farmer/labour		i	
r should not	be		
less then	14		
years.			

3	प्रधानमंत्री	राज्य के सभी	क) सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के	आवेदन	क) सामुदायिक लघु जल	समीप के भू0	फॉर्म
	कृषि		कार्यान्वयन के लिए शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा		संचयन योजनाओं के लिए	संरक्षण कृषि विकास	
	सिंचाई		वहन किया जाता है।	फीस नही	1	अधिकारी / कनिष्ट	
	योजनाः	भू—मालिक	ख)व्यक्तिगत सिंचाई योजनाओं जैसे डगवैल, पौण्ड,	हे	आवेदन, पंचायत संकल्प,		
	प्रति बूंद		उथले बोर वैल एवं जल वहन पाईप इत्यादि के		राजस्व रिकार्ड की नकल,		
	अधिक	योजना का	कार्यान्वयन के लिए राज्य-मानदण्डों के अनुसार 50		जमाबंदी और ततिमा तथा		
	फसलः	लाभ लेने के	प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा		अनापति प्रमाण पत्र इत्यादि		
	अन्य	लिए पात्र हैं।	है तथा शेष राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है।		ख) व्यक्तिगत सिंचाई		
	गतिविधि		·		योजनाओं के लिए आवेदन		
	यॉ				प्रपत्र सहित राजस्व रिकॉर्ड		
					की प्रतिलिपि, जैसे कि	प्रस्ताव जिला कृषि	
			·		जमाबंदी और ततिमा की	अधिकारी	
					प्रति, बैंक खाता की प्रति।	रिकांगपिओ व	
						केलांग के कार्यालयों	
						में भेजे जा सकते	
						हैं।	

•

योजना में भू—मालिक हो त तथा उनके क्षेत्र में ऐसी योजना बनाने हें के लिए उपयुक्त स्थल उपलब्ध हों, इ इस योजना का वि	इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में आवेदन कूहलों के स्त्रोतों का नवीनीकरण की को तथा सामुदायिक क्षेत्रों में कूहलों को फीस नह सुदृढ़ करने का कार्य किया जाता है है। योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी सामुदायिक कार्यों का शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्तर पर बोरवैल और	सिचाई योजनाओं के लिए संबन्धित लाभार्थियों / किसानों का सामुहिक आवेदन पत्र, पंचायत संकल्प, राजस्व रिकॉर्ड की नकल, जमाबन्दी और तितमा तथा अनापति	विकास अधिकारी / किनष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उपमण्डलीय भू—संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला में उप कृषि निदेशक के कार्यालय को अपने आवेदन भेज सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबन्धित	फॉर्म
इस योजना का रि लाभ लेने के लिए व	किया जाता है। योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्तर पर बोरवैल और	नकल, जमाबन्दी और ततिमा तथा अनापति	आवेदन भेज सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबन्धित	
Ţ	उथले कुओं के निर्माण पर 50 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है।	प्रमाण पत्र इत्यादि	प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालय में भेजे जा सकते हैं।	

•

.

5	जल से	राज्य के सभी	इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक	आवेदन की	सामदायिक लघ जल	समीप के भू—संरक्षण कृषि	फॉर्म
	1	किसान जो	लघु जल संचयन योजनाओं के	कोई		विकास अधिकारी / कनिष्ट	
			कार्यान्वयन के लिए शत प्रतिशत व्यय			अभियन्ता के कार्यालय या	
			सरकार द्वारा वहन किया जाता है।		1 *	उपमण्डलीय भू—संरक्षण	
			योजना के अन्तर्गत किसानों को		आवेदन पत्र, पंचायत	अधिकारी के कार्यालय को भेजे	
ŀ		में ऐसी योजना	सिंचाई जल उपलब्ध करवाने हेतु			जा सकते हैं। जन जातीय	
		बनाने के लिए	चैकडैम एवं तालाबों का निर्माण।		की नकल, जमाबन्दी	जिलों से संबन्धित प्रस्ताव जिला	İ
		उपयुक्त स्थल				कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व	
		उपलब्ध हों,				केलांग के कार्यालय में भेजे जा	
		इस योजना का			इत्यादि	सकते हैं।	
		लाभ लेने के	·				
1		लिए पात्र हैं।					

6	सिंचाई योजना का निर्माण	जो प्रदेश में भू–मालिक हो, इस योजना का लाभ लेने	इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्तर की लघु/मध्यम उठाऊ सिंचाई योजनाओं एवं व्यक्तिगत बोरवैल की स्थापना, व्यक्तिगत जल मण्डारण टैंकों का निर्माण, डगवैल, जल वहन वितरण पाईप और पम्पिगं मशीनरी के लिए लाभार्थी	की कोई फीस नही है	सुविधा प्रदान की जानी हो, का तितमा एवं जमाबन्दी की प्रति तथा भू–मालिकाना हक हिस्सेदारी में होने पर	विकास अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या	
			को नियमानुसार अधिकतम 50 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है।		प्रति	आवेदन भेज सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबन्धित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालय में भेजे जा सकते हैं।	

•

7	सौर	राज्य के	सभी 1.	इस योजना के	अन्तर्गत सौर	आवेदन की	कोई	जोत–क्षेत्र	जिसे 1	सिंचाई	समीप	के	फॉर्म
:	सिंचाई	किसान	जो	पम्पों से सिंचाई	हेत् लघ् एवं	फीस नही है					भू—संरक्षण	कृषि	
	योजना	प्रदेश	में	सीमांत वर्ग के	किसानों को			हो, का	ततिमा	एवं	विकास	C	
		भू—मालिक	हो,	व्यक्तिगत रूप	से पम्पिंग						अधिकारी / व	गनिष्ठ	
		इस योजना	का	मशीनरी लगाने हे	तु ८५ प्रतिशत			भू–मालिकान			अभियन्ता ं	के	
		लाभ लेने	के	की सहायता का				हिस्सेदारी मे	ं होने पर			या	
		लिए पात्र हैं।	2.	मध्यम / बड़े वर्ग							उपमण्डलीय		
				को व्यक्तिगत र	जप से पम्पिंग			प्रमाण पत्र	की प्रति	, बैंक	भू—संरक्षण		
				मशीनरी लगाने हे	तु 80 प्रतिशत			खाते की प्री			अधिकारी	के	
				की सहायता का							कार्यालय र	ग हर	
			3.	सामुदायिक स्तर	पर (कम से						जिला में उ	प कृषि	
				कम 5 किसान	ों के समूह)						निदेशक	के	
				पम्पिंग मशीनरी	लगाने हेतु						कार्यालय क	ो अपने	
				सभी वर्ग के कि							आवेदन भेज	सकते	
				85 प्रतिश्त व्यय							हैं। जन		
				वहन करने का प्र	ावधान है।						जिलों से र		
										,	प्रस्ताव जिल	ग कृषि	
											अधिकारी		
											रिकांगपिओ		
											केलांग	के	
						,					कार्यालय ग		
											जा सकते है	1	

	8	राज्य कृषि	समस्त श्रेणियों	ट्रैक्टर (8—20 हार्स पॉवर) 50 प्रतिशत आवेदन की आधार कार्ड की प्रति, नजदीक के विकास सामान
		यंत्रीकरण	के कृषक (लघु,	की सहायता अधिकतम 2.25 लाख कोई जिमीन की खुण्ड पर नियक्त <sup>आवेद</sup>
		कार्यकम् / कृषि	सीमांत्,	रूपये, ट्रैक्टर (20—40 हार्स पॉवर) 50 फीस नही जमाबन्दी / ततीमा की विषयवाद विशेषज्ञ
		अभियान्त्रिकी	अनुसूचित	प्रतिशत की सहायता अधिकतम 3.00 है। प्रति, बैंक अकाउट का (कृषि) या कृषि विकास
		उप मिशन	जाति,	लाख रूपये, ट्रैक्टर (40—70 हार्स   ब्यौरा खरीदी जाने वाली अधिकारी
	1	(केन्द्रीय	अनुसूचित	पॉवर) 50 प्रतिशत की सहायता मशीन का प्रोफार्मा बिल
-		प्रायोजित	जन–जाति व	अधिकतम ५.०० लाख रूपये, पॉवर इत्यादि।
		योजना)	महिला कृषक)	टिलर (8 हार्स पॉवर तक या इससे
		•		अधिक) 50 प्रतिशत की सहायता
				अधिकतम ०.८५ लाख रूपये, पॉवर
				वीडर 50 प्रतिशत की सहायता
				अधिकतम 0.25 लाख की सहायता,
				कस्टम हायरिंग केन्द्र के तहत कृषि
·				मशीनीकरण बैंक की स्थापना हेतु 40
				प्रतिशत की सहायता।

9	9 प्रधान	सभी ऋणी व	प्रधानमंत्री	फसल	बीमा	योजना में	आवेदन	की कोई	आधार	कार्ड	ਕ <sup>ਾ</sup>	फसल	सम्ब	न्धित	बैंक :	ਗੁ <u>ਵ</u> ੀਂ ਰਿ	केसान	फॉर्म
-	मंत्री	गैर ऋणी	मक्की,	धान, गे	हूँ व	जौ की	फीस न	ਾहੀ है।	बुआई	प्रमाण	पत्र ।						तथा	1/1-1
	फसल	किसान				जाता है।			,							 कंपनी		
	बीमा		इसके अ	तिरिक्त	मौसम	आधारित											•	
	योजना		फसल ब	ोमा योज	जना व	के अंतर्गत						:						
			आलू, म	ाटर, ट	माटर,	अदरक,												
			शिमला ि	मेर्च, लह	सुन, ब	बन्द गोभी,	,											
			फूल गोः	भी आवि	दे सि	ब्जियों को												
			इनके अंत	ार्गत क्षम	ाता वा	ले क्षेत्रों में												
			i			प्रधानमंत्री												
			फसल बी	ोमा योज	जना मे	ों किसानों												
İ			1 7			दर बीमित					÷							İ
						2 प्रतिशत												
						ी के लिए												
			,	-		आधारित												
						ने अन्तर्गत												
İ						उत्पादित												
						के लिए												
				-		राशि का												
		1	अधिकतम	5 प्रतिश	शत है।				-									

10	सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कुशल सिंचाई योजना	किसान जो प्रदेश में भू–मालिक हो इस योजना का	इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत सूक्ष्म / टपक सिंचाई इकाईयों की स्थापना के लिए नियमानुसार अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जाती है तथा जल स्त्रोत विकसित करने के लिए नियमानुसार अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जाती है।	कोई फीस नही है।	सूक्ष्म / टपक सिंचाई इकाई स्थापित की जानी प्रस्तावित की गई है का तितमा एवं जमाबंदी की प्रति तथा भू—मालिकाना हक हिस्सेदारी में होने पर अन्य हिससेदारों का	अभियन्ता के कार्यालय या उपमण्डलीय भू—संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला में उप कृषि निदेशक के कार्यालय	r i
			Sixin Q1		अनापति प्रमाण पत्र की प्रति, बैंक खाता की	को अपने आवेदन भेज	r i

		1222	
11	कृषि	सभी वर्ग के	1. किसानों को जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण हेतु आवेदन किसी भी जिला स्तर पर सामान्य
	विस्तार	किसान	कमशः 250–400, 1000 व 1250 रूपये प्रति–दिन की सहायता। की प्रमाण पत्र परियोजना निदेशक आवेदन
	एवं		2. कृषि प्रदर्शन हेतु ४००० रूपये प्रति प्रदर्शन प्रति ०.४ हैक्टेयर की कोई की (आत्मा) को / खण्ड
	तकनीकी		सहायता ।
	l _		3. कृषि पाठशाला करने के लिए 29,414 रूपये प्रति पाठशाला की फीस आवश्यकता स्तर पर कृषि विभाग
	मिशन		सहायता। नहीं है   नहीं है   की आत्मा परियोजना के
	(आत्मा)		4. किसानों को जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्र स्तरीय भ्रमण हेतु खण्ड तकनीकी प्रबन्धक
		1	कमशः ३००, ५०० व १००० रूपये प्रति दिन प्रति किसान की सहायता। तथा सहायक तकनीकी
		į	5. किसान समूहों जैसे की किसान रूचि समूहों, महिला समूहों, किसान प्रंबन्धक के माध्यम से
			संगठना आदि को प्रात्साहित करने हेतु सहायताः (1) किसानों को क्षमता / दक्षता विकास आदि हेतु 5000 रूपये प्रति
			समूह प्रति वर्ष की सहायता।
			(2) आवर्ती निधि / कोष हेतु 10000 रूपये प्रति समूह की सहायता।
			(3) महिला खाद्य सुरक्षा समूह को आवर्ती निधि / कोष हेतु 10000
			रूपये प्रति समूह् की सहायता।
			6. विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम संगठित समूहों को 20000 रूपये का
			प्रोत्साहन। किसानों को राज्य स्तरीय (50000 रूपये), जिला स्तरीय
			(२५००० रूपये) व खण्ड स्तरीय (१०००० रूपये) पुरस्कार व प्रोत्साहन
			राशि दी जाती है।
•			7. कृषि सूचना का प्रचारः
			(1) जिला स्तरीय प्रदर्शनी, किसान मेलों, फल व सब्जी प्रदर्शनी के
			आयोजन हेतु ४,००,००० रूपये प्रति जिला।
			(2) स्थानीय विज्ञापन व मुद्रित साहित्य आदि द्वारा सूचना के प्रसार
		İ	हेत् प्रावधान।
			(3) सूचना प्रौद्यौगिकी के माध्यम से सांझा करने के लिए इलैक्ट्रोनिक
			तकनीकी पैकेज के विकास हेतु 20000 रूपये प्रति पैकेज की
			सहायता।
			8. कृषि तकनीक को सुधारना व अपनानाः
			o. पृथ रापरापर पर्रा सुवारमा प अपमामाः (a) कियानों केनानिकों की o निर्मे की रिस्स प्रतिम कर्म के
			(1) किसानों – वैज्ञानिकों की 2 दिनों की जिला स्तरीय चर्चा के
			आयोजन हेतु २०००० रूपये प्रति चर्चा।
			(2) अनुसंधान–प्रसार–किसान कड़ी को मजबूत करने हेतु किसान
	ļ	<u> </u>	गोष्ठियों के आयोजन हेतु 15000 रूपये प्रति कार्यक्रम का प्रावधान।

13	मुख्यमंत्री	हिमाचल प्रदेश के स्थाई   70 प्रतिशत अनुदान	आवेदन	कृषि विभाग द्वारा बनाये गये	निकटतम कृषि	फॉर्म
		सीमांत एवं लघु किसान	की कोई	पॉलीहाउस का विवरण तथा	प्रसार	
	नवीकरण योजना	जिन्होंने कृषि विभाग के	फीस		अधिकारी / कृषि	
		माध्यम से 40 से 1000	नही है	हिस्सेदारी	विकास	
		वर्ग मीटर आकार के			अधिकारी / विषयवा	]
-		पॉलीहाउसों का निर्माण		:	द विशेषज्ञ (खण्ड	
		किया है।			स्तर पर)।	

14	मिट्टी स्वास्थ्य	सभी किसान	भारत सरकार ने मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड		निकटतम कृषि	अपने
,(	कार्ड योजना		योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत जी.पी.एस. के आधार पर		प्रसार	नजदीकी कृषि
i			किसानों के खेतों से मिट्टी के नमूने लेकर उनकी जॉच की	रिकॉर्ड की कॉपी।	अधिकार / कृषि	प्रसार
,			जा रही है और किसानों को फसलों में प्रयोग किये जाने वाले		विकास	अधिकारी से सम्पर्क
,			पोषक तत्वों के प्रयोग की सिफारिशें Soil Health Card पर		अधिकारी / विषयवा	करें।
ř			जारी की जाती हैं।		द विशेषज्ञ (खण्ड	
					स्तर पर)।	]

15	मुख्य मंत्री खेत	राज्य के	सभी किसान	स योजना के अन्तर्गत कृषकों को सौर ऊर्जा चालि	त बाड़ आवेदन	आवेदन प्रपत्र सहित राजस्व	संबन्धित विकास	फॉर्म
	संरक्षण योजना			गाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 80 प्रतिशत व				).
				ाधारित बाड़ बन्दी के लिए 85 प्रतिशत अनुदान का !		कि जमाबंदी और ततिमा की	विशेषज्ञ (कृषि) जो	
		लाभ लेने	के लिए पात्र	। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने कांटेदार तार व चे	निलंक नहीं है	प्रति, बैंक खाता की प्रति।	कि इस योजना	
		है।		ाड़ लगाने के लिए 50 प्रतिशत और क्ंपोजिट बाड़ लग	ाने हेतु		की संचालन	
				) प्रतिशत का भी प्रावधान किया है।			एजेंसी है, के	
							माध्यम से संबन्धित	
							जिला के उप कृषि	
							निदेशक का भेंजे	[
							जा सकते हैं। जन	
							जातीय जिलों से	
							संबन्धित प्रस्ताव	
							जिला कृषि	1
							अधिकारी	}
							रिकांगपिओं व	1
							केलांग के कार्याय	
							में भेजे जा सकते	
							हैं।	

-

-

16	उत्तम चारा	जिन कृषकों के पास	किसानों को उपदान दरों पर घास के गुणवत्तायुक्त बीज	आवेदन	किसान कृषि अनुदान पर्चा	निकटतम कृषि	सामान्य आवेदन
	उत्पादन योजना	अपनी कृषि भूमि है वह	उपलब्ध करवायें जा रहें हैं। सरकार अनुसूचित	की कोई	विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) से	प्रसार	आवदन
		इस योजना के तहत	जाति / अनुसूचित जनजाति और बी०पी०एल० किसानों को चारा	फीस	सत्यापित करवाकर कृषि	अधिकारी / कृषि	1
		मिलने वाले अनुदान के	काटने की मंशीन पर 50 प्रतिशत उपदान की सुविधा दे रही	नही है	सामग्री पर अनुदान प्राप्त कर	विकास	
			है। इस योजना में प्रदेश सरकार द्वारा अजोला घास की खेती		सकते हैं।	अधिकारी /	
			को भी प्रौत्साहित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत सरकार		,	विषयवाद विशेषज्ञ	
			किसानों को पिट बनाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान दे रही			(खण्ड स्तर पर)।	1
			है।।				

17	राष्ट्रीय खाद्य	समस्त श्रेणियों के कृषक	गेहॅं. धान व दालों	के अन्तर्गत सहायता :		आवेदन	आधार कार्ड की प्रति, जमीन	नजदीकी के	
	सुरक्षा मिशन	(लघ्, सीमांत, अनुसूचित	. 54			की कोई	_		सामान्य
	<b></b>	(लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति	क.स.	घटक / उपघटक	उपदान सहायता	फीस	प्रति, बैंक अकाउंट का ब्यौरा	नियुक्त विषयवाद	आवेदन
		व महिला कृषक।	1.	समूह प्रर्दशन	9000 रू० प्रति	नहीं है	खरीदी जाने वाली मशीन का	विशेषज्ञ (कृषि) या	
			1	. 4	हैक्टेयर		प्रोफार्मा बिल इत्यादि	कृषि विकास	
							<u>.</u>	अधिकारी /	
			2.	प्रमाणित बीजों के				संबन्धित जिले के	
				वितरण				उप कृषि	
							•	निदेशक।	
	·		(अ)	गेहूं व धान की 10	50 प्रतिशत या				
				वर्षे सें कम पुरानी	अधिकतम 2000	1			
				किस्मों पर	रू० प्रति क्विंटल			•	
							- 1		
			(ৰ)	दालों की 10 वर्ष से	50 प्रतिशत या				
			1	कम पुरानी किस्मो पर					
					रू० प्रति क्विंटल				
			(स)	धान संकर बीज	50 प्रतिशत या				
					अधिकतुम 10000				
-					रू० प्रति क्विंटल		:		
			3.	हस्त चलित स्प्रेयर	50 प्रतिशत या		• ;		
					अधिकतम ७७०				
					रूं0 प्रति मशीन				
		·	4.	उर्जा चलित नैपसैक	1 1			:	
				स्प्रेयर	अधिकतम 3800				-
					रू० प्रति मशीन				1
			5.	टैक्टर चलित	50 प्रतिशत या				
				रोटावेटर	अधिकतम ४२०००				
			,		रू0 प्रति मशीन				
			6.	पॉवर वीडर	50 प्रतिशत या				
	•				अधिकतम 25000			:	
					रू० प्रति मशीन				
			ļ.						

7.		रीपर		50 प्रतिशत या				
				अधिकतम ७५०००				
li				रू० प्रति मशीन				
8.		धान / मल्टी	काप	50 प्रतिशत या				
		थ्रैशर		अधिकतम ३००००				
				रू० प्रति मशीन				
9.		विनोइग फैन	7	50 प्रतिशत या				
-		,		अधिकतम 30000		:		
				रू० प्रति मशीन				
10.		८ एच. पी	या उससे	50 प्रतिशत या	-			]
		अधिक क		I _ I				
		टीलर		रू० प्रति मशीन				.
11.		टैक्टर चित	नत सीड	50 प्रतिशत या		j		
		डील		अधिकतम 20000				
-				रू० प्रति मशीन				,
मक्व	की के अन्तर्गत	सहायता						1
郭.			उपदान स		1			]
सं.	,							
1.	समूह प्रदर्शन	Ī	6000 रुप	ये प्रति हैक्टेयर	1		•	
								1
2.	प्रमाणित बीज	नों का	50 प्रतिश	त या अधिकतम				
	वितरण 10 व	वर्ष से कम	3000 रुप	ये प्रति क्विंटल				:
	पुरानी किस्मे	ों पर						
3.	संकर बीजों	का वितरण	50 प्रतिश	त या 10000 रुपये	1			
			प्रति क्विंट	ल				
पोष	क अनाज (ज्व	गर, बाजरा, रा	गी, कोदो 1	मिल्ट, परोसो	7			
मिल	ट, फोक्सटेल	मिलट, लिटर	मिलट)					
क्र.	घटक /							
सं.	उप घटक	5						
1.	समूह	6000 रुपये	प्रति हैक्टेय	र				1
	प्रदर्शन						•	
					1			
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 		1

2.	प्रमाणित	50 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रुपये
		प्रति क्विंटल
!	वितरण 10	
	वर्ष से कम	
	पुरानी	
<u> </u>	किस्मों पर	
3.	पौध	50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपये प्रति
	संरक्षण	हैक्टेयर
<u> </u>	रसायन	
4.	खरपतवार	50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपये प्रति
	नियंत्रण	हैक्टेयर
5.	हस्त	50 प्रतिशत या 750 रुपये प्रति मशीन
	चलित	
L	स्प्रेयर	
1		

को बढ़ावा देना।	हिमाचल प्रदेश में कॉफी की खेती का समावनाओं का तलाशना जापरा एवं कॉफी की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभाग कॉफी के प्रदर्शन खण्डक स्थापित कर रहा है, इसके अन्तर्गत कॉफी के पौधे किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराये जाते हैं एवं पौधों को लगाने के खर्च पर 50 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जाती है।	किसान विषयवाद सामान्य आवेदन विशेषज्ञ कार्यालय एवं तकनीकी अधिकारी (चाय), चाय भवन पालमपुर, जिला कॉगड़ा, हिमाचल प्रदेश में सम्पर्क कर सकते हैं।
-----------------	--	--

			Licenses	C. Latit Director Por
9	Grant of Insecticide License	For grant of insecticides manufacturing License one should apply on form V	Licenses  2000 per Insecticide or maximum Twenty thousand through online/e-Challan	1. Application in form III/IV for grant/renewal of insecticides manufacturing license alongwith prescribed fee.  2. Self-attested copies of Registration certificate issued by CIB&RC for addition of new products.  3. Affidavit from MD/Director/Partner/S ole Proprietior regarding appointment of person responsible for the purpose of section 33 of the Insecticides Act, 1968 (in the prescribed format)  4. Affidavit from MD/Director/Partner/S ole Proprietor to the effect that no employee of the firm has been declared as Proclaimed Offender by any court of law anywhere in India any under
				any under Act/Rule/Order, regarding appointment of full-time expert staff for
				monitoring/supervising Manufacturing process and regarding existence of all the necessary plant, machinery, safety devices, first-aid facilities, quality control

			measures, all the	
			requirements laid under	
>			requirements laid under	
			Insecticides Rules, 1971	
			etc (in the prescribed	1
			format).	}
			5. Affidavit of the person	1
		ļ	responsible for the	Ì
			purpose of section 33 of	1
	·		the Insecticides Act,	
			1968, (in the prescribed	
			format).	
			6. Affidavit of the full-	ł
			time expert staff (in the	ļ
			prescribed format).	ŀ
			7. Self-attested copy of	
			'no objection/consent	
			for water/Air/Hazardous	
			Waste disposal from	
i			State Pollution Control	
			Board.	
			8. Inspection	İ
			report/recommendation	ì
ĺ			of the Inspection team.	
			9. Consent of the	
			Medical Board.	
i			10. Valid marketing	
	ľ		agreement (for marketer	
		ľ	endorsement cases).	
			11. Affidavit from	
			MD/Director/Partner/S	
1			ole Proprietor of the	
			marketer company/firm	
			regarding appointment	
			of person responsible for	
İ			the purpose of section	
ì			33 of the Insecticides	
1		ļ	Act, 1961 (in the	1
1			prescribed format).	
			12. Affidavit of the	
			person of the marketer	
			person of the marketer	1
	<u> </u>	<u> </u>		
				•

company/firm
responsible for the
purpose of Section 33 of
the Insecticides Act,
1968 (in the prescribed
format).
13. Self-attested copy of
the Manufacturing/sale
licence of the marketer
company/firm.

Application for the grant of licence to sell, Stock or Distribution of Insecticides  As per provisi Insecticides Act,1968 and Insecticides Rule,1971	Rs. 500/for every Insecticide for which the licence is applied subject to maximum Rupees Seven Thousand Five Hundred only (Rs. 7500) Separate Fee for each Place. Through Treasury Challan	proof
--	--	-------

20	Grant of	Fertilizer License	500/- online e-challan  1. AI Form (For application)	SMS (Agr.) at Concerned Block	Form
٠ <sub> </sub>	Fertilizer	for retail License	i application	Contention	
ĺ	License/	(B.Sc. Agriculture/	2. O Form (Souce of		
	Renewal	B.Sc with	Supply)		
ł	recisewa	Chemistry/	3. Map of Godown	+	
		Diploma in	4. NOC from nearby		
		agriculture from	Society/ Panchayat recommendation		
		recognized	5. Sale returen for last	, ]	
		University Govt.,	5. Sale returen for last	+	
		Institute/	years to quality report	L	
		Certificate course of	(in case of renewal)		
		fifteen days from			
		any State	·		
		Agriculture		.	
		University or Krishi		. 1	
		Vigyan Kendras or			
		National Institute of			
		Agricultural			
		Extension			
		Management		•	
		(MANAGE) OR			
	l <sup>p</sup>	National Institute of			
		Rural Development			
		and Panchayati Raj		]	į
		(NIDPR) OR		·	
		Fertilizer			
		Association of India		Ì	
		-			
				1	
		approval Govt.			
		Institute.	1. AI Form (For	Joint Director of	
		Fertilizer License for	application	Agriculture	
		Wholesale/ Renewal	2. O Form	through SMS of	
			3. Map of Godown/ Re	nt   Concerned block	
			agreement verified t	у	
			SMS		
			4. Affidavit of		
	İ		responsible person		1

Fertilizer License for Manufacturing License/Renewal	1000/ grade	5. Partnership deed/ MOA Company 5. Quality Control Reports 7. Price tag of fertilizers to be sold 8. Power of Attorney of authorized Signatory 9. Sale returen for last 3 years to quality report (in case of renewal) 1. D Form (For application) 2. Project Report 3. Affidavit of responsible person/ Nodal Officer (Chemist) 4. Partnership deed/ MOA Company 5. Set up of Laboratory/ Vertification Laboratory equipments 6. SSI registration 7. NOC of Pollution	Director of Agriculture through Concerned block SMS	Form

0.1	Court of Sood	Every person who	Rs. 1000/-online or through e-challan	a) Application on	SMS (Agriculture)	Form
21	Grant of Seed	Every person who	165. 1000/ 0111112 02 222-3-8-3	Form A	in Concerned	
	License	desires to obtain a		b) Original Challa	n Block	]
		seed license for		after submission		
		selling (For new		of application for	ee	
		license)		of Rs. 1000/-		
				under head		1
				0401-00-800-0	3-	
				Miscellaneous		1
				Receipts		
			·	c) NOC from		
		·	,	Panchayat/Coo	מכ	
				erative Society		
				d) Site plan of pla	ce	
				of business		
				e) Rent agreemen	t:	]
i				if any		
				f) Two passport		
				size photograp	hs İ	
				g) Inspection		
				Report of Seed		
				Inspector		
				h) Principal		
				Certificate		
Ì				a) Application on	SMS (Agriculture)	Form
		Every person who	Rs. 500/-online or through e-challan	Form C	in Concerned	1
		desires to obtain a		b) Original Chall	Block	
		seed license for		after submissi		
		selling (For		of application	l l	
		renewal license)		of Rs. 500/-		1
				under head		
				0401-00-800-	03-	
			1	Miscellaneous	i	
				Receipts.\		
				c) NOC and site		
				plan is require	ed	
				only if the		
- [		}		Othy if the		1